

न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर
 (पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

मोटर दुर्घटना दावा.-35 / 2017

संस्थित दिनांक -25.10.2016

Filing No. MACC/39/2017

CNR No. MP50050001002017

देवेन्द्र मेश्राम उम्र 30 वर्ष पिता कन्हैयालाल मेश्राम जाति महार
 निवासी-इंदिरा मार्केट मलाजखण्ड तहसील बैहर
 जिला बालाघाट

आवेदक।

- / / विरुद्ध / / -

- 1- लामूदास मांगरे उम्र 40 वर्ष पिता जे.डी. मांगरे
 निवासी-परसामउ थाना गढ़ी तहसील बैहर (वाहन चालक)
- 2- श्रीमती ममता अग्रवाल पति धरमलाल अग्रवाल (वाहन स्वामी)
 निवासी-एल.आई.जी. 59 हाउसिंग बोर्ड कालोनी जिला बालाघाट
- 3- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमा कंपनी)
 शाखा कार्यालय स्टेशन रोड खंडेलवाल बिल्डिंग
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

अनावेदकगण

=====

आवेदक द्वारा श्री अजय बिसेन अधिवक्ता।
 अनावेदक क्रमांक 1, 2 द्वारा श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता।
 अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

=====

- / / अधिनिर्णय / / -

(आज दिनांक 10 नवम्बर 2017 को घोषित)

1. आवेदक ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 13.02.2016 को 15:30 बजे आर.बी. अग्रवाल बस में ड्रायवर साईड की सीट में सावधानीपूर्वक बैठकर ग्राम मलाजखण्ड जा रहा था तभी बिरवा हवाई पट्टी के पास बस क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 के चालक द्वारा बस को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बस को गड्ढे में डाल दिया जिससे आवेदक को आयी चोटों की क्षतिपूर्ति राशि

दिलाए जाने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि 10,00,000 /— रूपए दिलाए जाने हेतु पेश किया है।

2. आवेदन पत्र का सार यह है कि दिनांक 13.02.2016 को आवेदक आर.बी. अग्रवाल में बस में ड्रायवर साईड सीट में सावधानीपूर्वक बैठकर अपने ग्राम मलाजखण्ड जा रहा था तभी करीब 15:30 बजे बिरवा हवाई पट्टी के पास बस चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने बस को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सामने से आ रही अग्रवाल बस को ठोस मारते हुए रोड किनारे गढ़दे में बस डाल दिया जिससे आवेदक की कोहनी टूट गई, शरीर के अन्य भागों में चोट आयी। आवेदक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर लाया गया, उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया। जहां आवेदक भर्ती रहकर उपचार कराया जिसमें 2,00,000 /—रूपए व्यय हुआ। आवेदक हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड के अंतर्गत भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड में मैकेनिक के पद पर कार्यरत था। कोहनी में चोट आने से रॉड डाली गई, टांके लगाए गए जिससे आवेदक को स्थायी अपंगता कारित हुई, मैकेनिक कार्य करने में असमर्थ हो गया। थाना बैहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 43/16 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3. उक्त वाहन का अनावेदक क्रमांक 2 पंजीकृत स्वामी है तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत पॉलिसी क्रमांक 321602/31/15/6300006804 दिनांक 19.11.2015 से 18.11.2016 तक विधिवत बीमित था। आवेदक को उपचार दवाईयों में हुआ व्यय 2,00,000 /—, भविष्य के उपचार हेतु 1,00,000 /—, स्थायी अपंगता से आय में क्षति के मंदर में 5,00,000 /—, शारीरिक व मानिसक क्षति के मद में 2,00,000 /—इस प्रकार कुल 10,00,000 /—रूपए क्षतिपूर्ति राशि तथा साथ ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के तथ्यात्मक अभिकथनों को अस्वीकार किया है। विशिष्ट कथन में घटना दिनांक को अना.क्र. 1 अपने साईड से अना.क्र. 2 की यात्री बस को सामान्य गति से चालते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, सामने से आ रही अग्रवाल बस को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अना.क्र. 2 की बस के चालक साईड में टक्कर मार दी, आगे जाकर अग्रवाल बस पलट गई। अना.क्र. 2 की बस अपनी साईड से सामान्य गति से चलाते हुए जा रहा था। कथित दुर्घटना अना.क्र. 1 की लापरवाही से कारित नहीं हुई है, अना.क्र. 1 एवं 2 किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक जवाबदार होना इंकार किया है, अना.क्र. 2 का वाहन अना.क्र. 3 के पास बीमाकृत होना तथा अना.क्र. 1 व 2 के समस्त जोखित के लिए अना.क्र. 3 बीमा कंपनी उत्तरदायी होना लेख किया है, अना.क्र. 1 व 2 को के विरुद्ध दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 ने उत्तर पेश कर कर आवेदन में लेख तथ्यात्मक अभिकथनों को पदवार अस्वीकार किया है। दिनांक 13.02.2016 को आवेदक को बस दुर्घटना में चोट आना इंकार किया है। स्थायी अपंगता आना इंकार किया है। उपचार में 20,000/-रुपए खर्च होना इंकार किया है। आवेदक 3 माह तक बेडरेस्ट पर रहा, फरिस्ता हॉस्पिटल रायपुर में 2,00,000/-रु. उपचार में खर्च करना इंकार किया है, आवेदक 10,00,000/-रु. क्षतिपूर्ति पाने का पात्र होना इंकार किया है।

6. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि बस क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 का घटना दिनांक को परमिट नहीं था। अना.क्र. 1 के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित नहीं था इसलिए बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति के लिए नहीं है, बढा-चढाकर दावा पेश किया है, बीमा कंपनी धारा 170 मो.या.अधि. धारा 158-6, 147, 148 मो.या.अधि. का पालन न होने से स्वयं का बचाव

करेगी, आवेदक और अना.क्र. 1, 2 के मध्य दुरभि संधि है, अना.क्र. 3 के विरुद्ध दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वादप्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 13.02.2016 को करीब 15:30 बजे बिरवा हवाई पट्टी के पास अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर अना.क्र. 1 ने बस वाहन क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित कर आवेदक को स्थायी अपंगता कारित की ?	प्रमाणित
2.	क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर उक्तानुसार घटना कारित करने में उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अना.क्र. 2 होकर अनावेदक क्रमांक 3 के पास बीमित था ?	प्रमाणित
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक, समय, स्थान पर अनावेदक क्रमांक 1 ने बीमा शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चलाये जाने से बीमा कंपनी दायित्व से मुक्ति पाने योग्य है ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या आवेदक अनावेदकगण से पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से 10,00,000/—(दस लाख) रुपए और उस पर 12 प्रतिशत ब्याज क्षतिपूर्ति पेठे राशि पाने का अधिकारी है ?	कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा स्वीकृत कंडिका 17 के अनुसार देय

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

8. देवेन्द्र मेश्राम (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन पद क्रमांक 1 लगायत 4 में पेश किया है। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि दिनांक 23.02.16 को साक्षी आर.पी. अग्रवाल बस में चालक

साईड सीट में बैठकर मलाजखण्ड जा रहा था तब दिन के 15:30 बजे बिरवा हवाई पट्टी के पास अना.क्र. 1 ने उक्त बस को तेज गति, लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से आ रही बस को ठोस मारकर रोड किनारे गड्ढे में बस को डाल दिया जिससे आवेदक की कोहनी की हड्डी टूट गई, शरीर के अन्य भागों में चोटें आयी, दुर्घटना अना.क्र. 1 की लापरवाही के कारण घटित हुई। पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 43/16 धारा 279, 337 भा.द.वि. 184 मो.या.अधि. के तहत लेख की गई और न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

9. उक्त साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष लेख कराए गए कथन के पद क्रमांक 5 में प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 18 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया है, का अध्ययन किया गया। प्र.ए. 1 थाना बैहर के अपराध क्रमांक 43/16 दिनांक 14.02.16 के अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें वाहन क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 वाहन के दाहिनी ओर की पूरी बॉडी पर खरोंच के निशान होना तथा इमरजेंसी गेट का शीशा टूटा हुआ, बाएं साईड का हेडलाईट फूटा, सामने का बम्पर पिचका हुआ वाहन जप्त किया जाना लेख है। इसी दस्तावेज में बस चालक का नाम लामूदास पिता जीरादास लेख है।

10. प्र.ए. 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें भी सरल क्रमांक 7 में आर.बी. अग्रवाल बस क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 का चालक लेख है। प्र.ए. 3 के जप्ती पत्रक के अनुसार अना.क्र. 1 से बस, अस्थायी अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्यूरेंस, वाहन चालक अनुज्ञप्ति जप्त होना लेख है। अपराध विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.ए. 4 के अनुसार घटनास्थल दर्शाया गया है। प्र.ए. 5 गिरफ्तारी पत्रक के द्वारा अना.क्र. 1 को आरोपी के रूप में सरल क्रमांक 5 में दर्शाया गया है। प्र.ए. 7 आवेदक की एम.एल.सी. है जिसके पृष्ठ भाग पर पायी गई चोटों का विवरण डॉ. कुमरे द्वारा लेख किया

गया है। प्र.ए. 8 लगायत प्र.ए. 18 में स्थायी अपंगता बाबद किसी भी सक्षम चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र नहीं है। परिणामतः दुर्घटना दिनांक को संबंधित वाहन से अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप घटित होना प्रमाणित पाया जाता है। उक्त घटना में आवेदक को क्षति होना प्रमाणित है किंतु स्थायी अपंगता कारित होना प्रमाणित नहीं है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 1 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

11. देवेन्द्र मेश्राम (आ.सा.1) ने पद क्रमांक 4 में साक्ष्य दी है कि अनावेदक क्रमांक 1 वाहन का अनुज्ञप्तिधारी चालक है, अना.क्र. 2 पंजीकृत स्वामी है। दुर्घटना में आलिप्त वाहन को अना.क्र. 2 सुपुर्दनामे पर प्राप्त कर चुका है। बस क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 अना.क्र. 3 बीमा कंपनी के पास पॉलिसी क्रमांक 321602/31/15/6300006804 दिनांक 19.11.2015 से 18.11.2016 तक बीमित है। उक्त कथन बाबद प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं है। देवेन्द्र (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के अंत में साक्ष्य दी है कि चालक का लाईसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट की छायाप्रतियां पेश की है।

12. लाईसेंस की छायाप्रति के अनुसार आवेदक लामूदास का लाईसेंस क्रमांक छत्तीसगढ़ 04 आर.टी.ओ. आफीस से दिनांक 03.09.1996 को जारी होकर दिनांक 09.10.2017 तक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वैध था जिसका ड्राईविंग लाईसेंस कार्ड नंबर 5311714000476541 होना दर्शित होता है। वाहन क्रमांक एम.पी. 50 पी. 0232 की पंजीकृत स्वामिनी श्रीमती ममता अग्रवाल होना लेख है जो अना.क्र. 2 है। उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्क में अना.क्र. 3 के अधिवक्ता द्वारा दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित होना स्वीकार किया है। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

13. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है। साक्ष्य के अभाव में वादप्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

14. देवेन्द्र (आ.सा.1) पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.02.2016 को वह पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होकर हिन्दुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड के अंतर्गत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में मैकेनिक के पद पर कार्यरत था तथा 20,000/-रु. प्रतिमाह अर्जित कर पालन पोषण करता था। दुर्घटना के कारण 3 माह तक वह कोई कार्य नहीं कर पाया। दुर्घटना के कारण दैनिक क्रिया नहीं कर पाया, साक्षी को हमेशा 1 व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती थी। पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने दिनांक 14.02.2016 को उपचार कर घर जाने की सलाह दी थी। चोट लगे स्थान में दर्द होने से साक्षी फरिस्ता हॉस्पिटल रायपुर विशेष वाहन से दिनांक 07.03.2016 को गया जहां डॉ. जे.राय चौधरी व अन्य चिकित्सक ने कोहनी में राड लगाकर उपचार किया, टांके लगे दिनांक 08.03.2016 से दिनांक 11.03.2016 तक भर्ती रहना पड़ा, जिसमें दो लाख रुपए व्यय हुए, वर्तमान में उपचार चालू है। वह मैकेनिक का कार्य करने में असमर्थ हो गया है, गंभीर क्षति कारित हुई है।

15. आवेदक ने पद क्रमांक 6 में दवा ईलाज, डिस्चार्ज की पर्ची प्र.ए. 9 लगायत प्र.ए. 18 तक के प्रदर्शित कराए हैं जिनका अध्ययन किया गया। प्र.ए. 14 लगायत प्र.ए. 17 दवाई के बिल हैं जिनका योग 1192/-रु. है तथा फरिस्ता चिकित्सालय का बिल दिनांक 11.03.2016 का प्र.ए.18 का

20,000/-रु. का है। इस प्रकार कुल व्यय 21192/-रुपए किए जाने की दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर है। उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्क के समय आवेदक अधिवक्ता श्री अजय बिसेन द्वारा स्पष्ट शब्दों में इस अधिकरण को बताया गया कि पक्षकार ने जितने बिल दिए हैं उतने ही पेश किए गए हैं। अभिवचन के अनुसार राशि खर्च करने के बिल आवेदक के द्वारा प्रदत्त न किए जाने से पेश नहीं किए गए हैं जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी है। अतः अभिलेख पर संपूर्ण उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आवेदक द्वारा 21192/- अर्थात् 21200/-रुपया पूर्णांक में व्यय किए जाने से इस सीमा तक आर्थिक क्षति होना निष्कर्षित किया जाता है।

16. आवेदक विशेष वाहन से मलाजखण्ड से रायपुर गया, उपचार हेतु भर्ती हुआ, 4 दिन भर्ती रहा, कोहनी का ऑपरेशन हुआ अर्थात् उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट हुआ है। एक सप्ताह से कम अवधि होने से शारीरिक व मानसिक कष्ट के मद में राशि 5000/- रुपए निर्धारित की जाती है। वाहन व्यय में 1000/- रुपए, एक सहायक के लिए 1000/- रुपए, 5 दिन के भोजन व्यय, पौष्टिक आहार के मद में 1000/- रुपए कुल $(21200+5000+1000+1000+1000) = 29200/-$ निर्धारित किया जाता है। आवेदक आवेदन दिनांक से अदाएगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से पाने का पात्र है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 4 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 सहायता एवं व्यय :-

17. मोटर दुर्घटना दावा में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्वृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

आवेदक देवेन्द्र मेश्राम को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 29200/-रुपए {उन्तीस हजार दो सौ रुपए}, अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है।

आवेदक को प्राप्त होने राशि 29200/- रुपए {उन्तीस हजार दो सौ रुपए} आवेदक स्वयं ने अपने उपचार में व्यय किया है, इसलिए उक्त राशि आवेदक के बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

- {A} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
{B} अधिवक्ता शुल्क 1100/-रुपए देय हो।
{C} अनावेदक क्रमांक 3 का वाद व्यय आवेदकगण वहन करेंगे।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर मेरे डिक्टेसन पर टंकित खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

सही / —
(माखनलाल झोड़)

सदस्य
द्वि.अति.मो.दु.दा.अधि.बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / —
(माखनलाल झोड़)

सदस्य
द्वि.अति.मो.दु.दा.अधि.बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क. 1, 2	अनावेदक क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	10.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	1100.00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1125.00	1110.00	1120.00

सही / —
(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर